



पत्र सं० 6वीं/युपी०/०६/३३/२०२२/एफ०सी०/621

दिनांक : 14.10.2022

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक(वन संरक्षण) एवं नोडल अधिकारी,
वन विभाग, 17, राणा प्रताप मार्ग,
लखनऊ, उ०प्र०।

ONLINE PROPOSAL NO: FP/UP/Road/118819/2021

विषय : जनपद सोनभद्र के रेनुकूट वन प्रभाग के अन्तर्गत पी०एम०जी०एस०वाई० खण्ड लोक निर्माण विभाग, सोनभद्र द्वारा आर०एस० रोड(शिवहवा) से जोगेन्द्रा बाया खजुरा मार्ग के चैनल सं०-०.०० से २०.१५० तक में निर्मित मार्ग के चौड़ीकरण सुदृढीकरण से प्रभावित १४.५६०३ हे० आरक्षित वनभूमि के गैरव्यापिकी प्रयोग एवं बाघक ७५८ वृक्षों/पौधों के प्राप्ति की अनुमति के सम्बंध में।

सन्दर्भ:-मुख्य वन संरक्षक(वन संरक्षण) एवं नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश का पत्रांक संख्या १३९०/११-सी-FP/UP/Road/118819/2021, दिनांक-14.10.2022.

महोदय,

वृक्षों उपरोक्त विषयक ज्ञापन, उ०प्र० शासन के पत्रांक पी-२३/६१-२-२०२२-८९०(३२५)/२०२१, दिनांक-२५.०२.२०२२ का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा राज्य सरकार ने विषयवर्तित प्रस्ताव पर वन (संरक्षण) अधिनियम, १९८० की धारा-२ के तहत भारत सरकार की स्वीकृति मांगी थी।

प्रसंगगत प्रकरण में इस कार्यालय के समसंस्थक पत्र दिनांक ३१.०३.२०२२ द्वारा प्रकरण में आवश्यक सूचनाएँ मांगी गई थी, जिसकी अनुपालना के सम्बंध में उपरोक्त संदर्भित पत्र प्राप्त हुआ है। प्रस्तुत पत्र पर विचारोपरान्त मुझे यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि निम्नलिखित बिन्दु पर आवश्यक सूचना इस कार्यालय को उपलब्ध कराएँ ताकि आगे की कार्यवाई सुनिश्चित की जा सके-

1. Revised .kml files of area proposed for diversion needs to be submitted after incorporating the areas left in compliance of previous query no. 1.
2. Revised .kml files of CA area need to be submitted as NET Suitable area for plantation as per GIS-DSS analysis is ९.० ha., which is less than the actual required CA land area.
3. Documentary evidence for existence of road prior to १९८० needs to be submitted in compliance of query no. ५.

भवदीया,
(डॉ० प्राची गंगवार)
उप वन-महानिरीक्षक (केन्द्रीय)

प्रतिलिपि (ईमेल द्वारा):

1. अति० मुख्य सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बापू भवन, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक(क्षेत्र), वन विभाग, १७, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ, उ०प्र०।
3. प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट।
4. अधिशासी अभियन्ता, पी०एम०जी०एस०वाई० खण्ड लोक निर्माण विभाग, सोनभद्र।
5. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु/आदेश पत्रवर्ती।

(डॉ० प्राची गंगवार)
उप वन-महानिरीक्षक (केन्द्रीय)

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।

पत्रांक- १५०१ /११-सी-FP/UP/Road/118819/2021, लखनऊ, दिनांक: अक्टूबर १४, २०२२

प्रतिलिपि- मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त आपत्तियों का बिन्दुवार निराकरण कर सूचना एवं उससे सम्बन्धित अभिलेख इस कार्यालय को तीन प्रतियों में संस्तुति के साथ प्रेषित करने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि- प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त आपत्तियों का बिन्दुवार निराकरण कर सूचना एवं उससे सम्बन्धित अभिलेख इस कार्यालय को मुख्य वन संरक्षक के माध्यम से तीन प्रतियों में संस्तुति के साथ उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि- अधिशासी अभियन्ता, पी०एम०जी०एस०वाई० खण्ड लोक निर्माण विभाग, सोनभद्र को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(अनुपम गुप्ता)

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ।